

15-03-18

वकील अपीलान्ट या स्वयं अपीलान्ट कोई
 उपस्थित नहीं है। अपीलान्ट को बार-बार
 आवाजेँ दिलाई गईं। अपीलान्ट की ओर से
 कोई उपस्थित नहीं आया। अतः अपील
 अपीलान्ट अदम हाजरी, अदम पेशी एवं
 अदम तकमील में खारिज की जाती है।
 पत्रावली के सल भुमार होकर बाद तकमील
 जायता दाखिल दफ्तर है।

संभागीय आयुक्त
 भरतपुर संभाग, भरतपुर